

[2023] 1 एस सी आर 279

ए.

जॉन एंथनीसेमी @जॉन वी.

स्टेट, आरईपी। पुलिस निरीक्षक द्वारा (2017 की आपराधिक अपील संख्या 466)

बी.

19 जनवरी, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।201 - हत्या-परिवेशीय साक्ष्य-न्यायेतर स्वीकारोक्ति-प्रभाव-अपीलार्थी सहित पाँच अभियुक्त (ए-1)-अभियोजन पक्ष का मामला कि एक साजिश के अनुसरण में, अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या कर दी और उसकी कार चुरा ली/ले गए-पीडब्लू 11 (उप निरीक्षक) ने मामले को अज्ञात के रूप में बंद कर दिया-हालाँकि, मामले को बाद में फिर से खोला गया और पुलिस गवाह (पीडब्लू 30) द्वारा अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू 22 को कथित रूप से लिखे गए पत्र में दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर जांच शुरू की गई-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी यू/एस को दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू एस।201 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि-चुनौती-आयोजित:अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसे पीडब्लू 22 को अपने पत्र/संचार में इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया था और तत्काल मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, इसलिए जब तक और जब तक घटनाओं की पूरी श्रृंखला साबित और स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उसे इकबालिया बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने जहां तक अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू 22 को संबोधित पत्र/संचार का संबंध है, उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को संबंधित पत्र/संचार में दिए गए इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया था-इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से देखा गया है, अन्य परिस्थितियों से अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया और साबित किया कि मृतक की हत्या अपीलार्थी द्वारा उसकी कार चोरी/ले जाने के बाद की गई थी-पहली मजबूत परिस्थिति -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

ए.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

पकड़ना: **1.** अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि उसे इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया है और इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में और जब तक कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला साबित और स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उसे इकबालिया बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू-**22** को संबोधित तथाकथित संचार को उच्च न्यायालय द्वारा गौण साक्ष्य नहीं माना जाता है और यह साबित नहीं हुआ है। इसलिए, जहां तक पत्र/संचार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को पत्र/संचार में दिए गए इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया है। [पैरा **6.1**] [286-ई-एच; 287-ए] **2.** जाँच के दौरान, अपीलार्थी ने उस स्थान का खुलासा किया जहाँ उसने मृतक के शव को दफनाया था। अपीलार्थी द्वारा पहचाने गए स्थान से शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद, सुपर इम्पेशन टेस्ट किया गया और हड्डियों और खोपड़ी पर डी. एन. ए. जांच की गई और यह साबित हुआ कि शव मृतक का था। [पैरा **6.2**] [287-बी-डी] **3.** घटनास्थल से मृतक द्वारा चलाई गई कार और अपीलार्थी द्वारा बताए गए व्यक्ति की बरामदगी हुई है। अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-**16** की जाँच करके इसे पूरी तरह से साबित कर दिया है, एक व्यक्ति जिसने चोरी की कार को अपीलार्थी द्वारा बेची गई कार के रूप में स्वीकार किया है। [पैरा **6.3**] [287-ई-एफ]

बी.

सी.

डी.

ई.

4. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी द्वारा बेचे गए कार इंजन और गियर बॉक्स को अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर पीडब्लू-**17** से बरामद किया गया था। [पैरा **6.4**] [287-जी-एच]

एफ.

5. उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा गया है, अन्य परिस्थितियों से अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है और साबित किया है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी द्वारा उसकी कार चोरी/ले जाने के बाद की गई थी। [पैरा **6.5**] [288-डी-ई]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2017 की आपराधिक अपील संख्या 466।

जी.

2015 की आपराधिक अपील No.171 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2016 से।

राकेश के. शर्मा, सुश्री एन. एस. नप्पिनाई, वी. बालाजी, असाइथांबी सुश्री, सी. कन्नन, निजामुद्दीन, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस., शोभित द्विवेदी, सुश्री वैदेही रस्तोगी, संजीव के. महारा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

281

जॉन एंथनीसेमी @जॉन बनाम राज्य, प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

अपीलार्थी 1 अपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी
रअपीलार्थी ाअपीलार्थी सअपीलार्थी सहपठित अपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी
चअपीलार्थी ्अपीलार्थी चअपीलार्थी विचारण न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी
्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी
पअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी
अअपीलार्थी पअपीलार्थी िअपीलार्थी लअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी
.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी
अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी
.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी
अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी
.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी
अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी
.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी

[illegible]

.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी
अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी
.अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी
ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी
सअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी

बी.

सी.

2. अभियोजन पक्ष के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 2 में विवादित फैसले में विस्तार से बताया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक को पीडब्लू-1 द्वारा उसके स्वामित्व वाली टैक्सी चलाने के लिए चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। 26.06.2006 को लगभग 06.30 सुबह, मृतक अपनी पत्नी को सूचित करने के बाद अपना घर छोड़ कर चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं आया।

डी.

2.1 कि ए-1 भी कुछ समय से टैक्सी चला रहा था और इस तरह से वह मृतक को जानता था। यह आरोप लगाया गया था कि 23.05.2006 पर सभी आरोपी व्यक्तियों ने मृतक द्वारा चलाई जा रही कार को रोकने की साजिश रची और उसे दूर एक सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसे मार डाला और फिर मृतक के स्वामित्व वाली कार और अन्य निजी सामानों को चुरा लिया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उक्त साजिश के अनुसरण में, 26.05.2006 पर, ए-2 से ए-5 पोल्लाची थर्मुट्टी बस स्टॉप पर ए-1 से मिला। फिर, ए-1 ने मृतक से बात की और उसे मृतक द्वारा चलाई गई टैक्सी में उदुमलपेट जाने के लिए तय किया। तदनुसार, मृतक टैक्सी में थर्मुट्टी बस स्टॉप आया। फिर, सभी पाँच आरोपी टैक्सी में चढ़ गए। टैक्सी उदुमलपेट की ओर बढ़ी। जब यह एक सुनसान जगह पर अम्मापट्टी नामक गाँव के पास आ रहा था, तो आरोपी चाहता था कि मृतक कुछ समय के लिए कार रोक दे। मृतक ने कार रोक दी, जैसे ही कार रुकी अचानक ए-2 मृतक की गर्दन से गला घोटने आया। ए-3 और ए-4 ने मृतक के हाथ बांध दिए और ए-5 ने मृतक के पैरों को रस्सियों से बांध दिया। फिर, उन्होंने मृतक को कार की आगे और पीछे की सीटों के बीच में डाल दिया। ए-3 से ए-5 कार की पिछली सीट पर बैठे और सुनिश्चित किया कि मृतक रो नहीं रहा था। कार ए-1 द्वारा चलाई जा रही थी।

ई.

एफ.

जी.

मृतक की मौत हो गई। सभी पाँचों अभियुक्तों ने मृतक के शव को गड्ढे में डाल दिया और उसे दफना दिया। इसके बाद, सभी पाँच आरोपी कार के साथ घटना स्थल से भाग गए।

2.2 पीडब्लू-1 ने मृतक से फोन पर 26.06.2006 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद पाया गया और पीडब्लू-1 मृतक के घर गया और पीडब्लू-3 से मिला और पीडब्लू-3 ने उसे सूचित किया कि 26.06.2006 के बाद लगभग 6:30 बजे मृतक नहीं देखा गया था। तलाशी के बाद मृतक नहीं मिला और इसलिए पीडब्लू-1 ने 30.06.2006 पर पुलिस में शिकायत की। पुलिस के तत्कालीन उप-निरीक्षक पीडब्लू-11 ने आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध संख्या 363/2006 के रूप में मामला दर्ज किया। इसके बाद, अधिकार क्षेत्र की न्यायालय को एक प्राथमिकी सौंपी गई। इसके बाद पीडब्लू-11 ने जांच शुरू की। उन्होंने संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए। हालाँकि, इसके बाद, पीडब्लू-11 ने 04.02.2007 पर मामले को अज्ञात के रूप में बंद कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने समापन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, इसके बाद ए-1 द्वारा पीडब्लू-22 को संबोधित कथित रूप से लिखे गए एक पत्र के आधार पर, जो उसे 29.12.2007 पर प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा ए-1 ने आरोप लगाया था कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ टैक्सी में काम किया था, ड्राइवर (मृतक) को ले गया, उसकी हत्या कर दी और शव को दफना दिया और टैक्सी ले गया। उक्त पत्र में दर्ज इकबालिया बयान के अनुसार कार के कुछ हिस्सों को ए-2 द्वारा ए-5 पर ले जाया गया था। पीडब्लू-22 उक्त पत्र के साथ 30.12.2007 पर पुलिस स्टेशन गया और पीडब्लू-30 को पत्र सौंप दिया। उसी के आधार पर जांच शुरू की गई। ए-1 के बयान के आधार पर, जिस स्थान पर कार छिपी हुई थी और शव को दफनाया गया था, उसे बरामद किया गया। इस प्रकार, ए-1 के कहने पर शव बरामद किया गया। पीडब्लू-30 ने मामले को आईपीसी की धारा 302 और 396 के तहत एक में बदल दिया। पीडब्लू-30 ने ए-1 को गिरफ्तार किया। जाँच के दौरान, ए-1 के प्रकटीकरण बयान पर, पीडब्लू-30 ने ए-1 द्वारा पहचाने गए पीडब्लू-16 से बिना इंजन वाली कार और गियर बॉक्स बरामद किया। ए-1 के प्रकटीकरण बयान पर, कार का इंजन और गियर बॉक्स भी बरामद किया गया। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, ए-1 द्वारा पहचाने गए स्थान से शव को निकाला गया था। ए का पोस्टमॉर्टम

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

283

जॉन एंथनीसेमी @जॉन बनाम राज्य, प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मृतक का संचालन किया गया। कई चोटें पाई गईं। जाँच पूरी होने पर पीडब्लू-30 ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए, उन सभी पर आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत मुकदमा चलाया गया।

बी.

2.3 अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू-16 को स्टार गवाह कहा जा सकता है जिससे ए-1 द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर मृतक द्वारा चलाई गई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी के आगे के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। अभियुक्तों ने अपने बचाव में डी. डब्ल्यू.-1 की जाँच की। साक्ष्य के मूल्यांकन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने ए-1-अपीलार्थी को दोषी ठहराया। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा की विद्वान है। इसलिए, अपीलार्थी के कहने पर वर्तमान अपील-मूल अभियुक्त संख्या 1। 3. अपीलार्थी -अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री एन. एस. नप्पिनाई पेश हुईं और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. पेश हुए।

सी.

डी.

ई.

4. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तय कानून है कि किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह अभियुक्त के अपराध के अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाए।

एफ.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया है कि मृतक की मृत्यु हत्या थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय देने में सक्षम नहीं थे।

जी.

4.2 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने इकबालिया बयान/अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार

एच.

284

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

कानून का अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कमजोर सबूत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के कबूलनामे के अनुसार वसूली चोरी के सामान के कब्जे से परे कुछ भी स्थापित नहीं करती है और यह हत्या करने के आरोपी को शामिल नहीं करती है।

4.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ए-1 द्वारा दिखाए गए स्थान से शव की बरामदगी और ए-1 द्वारा पहचाने गए स्थान से इंजन और गियर बॉक्स के बिना कार की बरामदगी और उसके बाद, पीडब्लू-16 से कार के गियर बॉक्स की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इकबालिया बयान/प्रकटीकरण बयान के आधार पर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितियाँ अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करती हैं।

बी.

सी.

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक ए-1 द्वारा पहचाने गए स्थान से शव की बरामदगी का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद ए-2 ने पुलिस के समक्ष स्वैच्छिक इकबालिया बयान दिया जिसमें उसने दफनाने के स्थान का खुलासा किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए-2 द्वारा दफनाने के स्थान का खुलासा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए शव को दफनाने का स्थान पुलिस की पूर्व जानकारी में था।

डी.

ई.

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब पीडब्लू-22 को 29.12.2007 पर अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 30.12.2007 पर पुलिस को सौंप दिया, उस पत्र में शव को दफनाने के स्थान का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दफनाने के स्थान का खुलासा 29.12.2007 पर ही किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस ने 30.12.2007 पर पीडब्लू-22 के कहने पर ए-1 को गिरफ्तार किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार पी. डब्ल्यू.-22 को संबोधित कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पत्र 29.12.2007 पर प्राप्त होना बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है और इस प्रकार नीचे दिए गए न्यायालयों ने भी ऐसा नहीं माना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त पत्र को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, पूरी जांच को दूषित कहा जा सकता है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

एफ.

जी.

4.6 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ए-1 के इकबालिया बयान से दफन स्थान की खोज नहीं की गई थी, लेकिन यह ए था

एच.

285

जॉन एंथनीसेमी @जॉन बनाम स्टेट, रिप।

पुलिस निरीक्षक [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए-2 के स्वीकारोक्ति और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से पहले से ही पता चला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अपीलार्थी -अभियुक्त को ए-1 द्वारा किए गए कथित प्रकटीकरण पर शव की बरामदगी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

4.7 अब जहाँ तक ए-1 द्वारा पहचाने गए स्थान से बरामद इंजन और गियर बॉक्स के बिना कार की बरामदगी का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के लिए उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-16 साक्ष्य पर भरोसा किया है। हालाँकि, यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-16 साक्ष्य को खारिज कर दिया और क्रमशः एम. ओ. 1, एम. ओ. 2 और एम. ओ. 3 यानी कार, इंजन और गियर बॉक्स की बरामदगी पर संदेह व्यक्त विद्वान। यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि पीडब्लू-16 साक्ष्य को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्य पर विचार करने और/या चर्चा करने में विफल रहा है।

बी.

सी.

4.8 अब जहां तक पीडब्लू-17 से बरामद कार के इंजन और गियर बॉक्स की बरामदगी का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-17 और पीडब्लू-23 जैसी चोरी की वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में सभी गवाहों ने कार-एमओ. 1 की बरामदगी का समर्थन नहीं किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, कथित स्वीकारोक्ति के अनुसरण में बरामद किए गए गियर बॉक्स, इंजन और कार स्पीकर की कथित बरामदगी स्वीकार्य नहीं है।

डी.

ई.

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अभियोजन पक्ष का मामला केवल उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, जिनमें से प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ गंभीर आरोपों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय और अपर्याप्त है, तो अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने और/या दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कड़ी को साबित करने की आवश्यकता होती है, जो अभियोजन पक्ष विफल रहा है। 4.10 अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए-1 पहले से ही एक ऐसे अपराध के लिए 15 साल की जेल से गुजर चुका है जो उसने नहीं किया है और इसलिए, वर्तमान अपील की अनुमति देने और अभियुक्त को बरी करने का अनुरोध किया जाता है।

एफ.

जी.

5. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में,

एच.

286

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

ए द्वारा दिखाए गए स्थान से शव को निकाला गया और उसकी पहचान की गई -1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए-1 द्वारा दिखाए गए दफन स्थान और उसके द्वारा शरीर की पहचान अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित की गई है। विशेषज्ञ के मानव विज्ञान के साक्ष्य को स्वीकार

किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चोरी की कार भी ए-द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामद की गई थी। 1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए-1 द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर इंजन और गियर बॉक्स पीडब्लू-17 के कब्जे में पाए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-17 ने पदच्युत किया है कि कुछ पुर्जे ए-1 द्वारा बेचे गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में बिल्कुल भी समझाया नहीं गया है।

बी.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. डब्ल्यू.-1 के अभिसाक्ष्य को अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

सी.

5.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

डी.

6. हमने अभियुक्त के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम अपीलार्थी -अभियुक्त संख्या 1 को आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अध्ययन विद्वान है।

ई.

6.1 अपीलार्थी -अभियुक्त नं. 1 की ओर से यह मामला है कि उसे इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया है और इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में और जब तक कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला साबित और स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उसे इकबालिया बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

एफ.

तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को इकबालिया बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है। वर्तमान मामले में, आरोपी द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि उसने अपराध किया है, जिस पर न्यायालय ने भरोसा किया है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा पीडब्लू-22 को संबोधित तथाकथित संचार को उच्च न्यायालय द्वारा गौण साक्ष्य नहीं माना जाता है और यह साबित नहीं हुआ है। इसलिए, उच्च न्यायालय के पास ए

जी.

एच.

287

जॉन एंथनीसेमी @जॉन बनाम राज्य, प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जहाँ तक पत्र/संचार का संबंध है, उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी -अभियुक्त संख्या 1 को पत्र/संचार में दिए गए इकबालिया बयान पर दोषी ठहराया गया है।

6.2 हालाँकि, साथ ही, यह देखा जा सकता है कि 30.12.2007 पर पुलिस द्वारा प्राप्त संचार/पत्र मामले को फिर से खोलने का कारण था, क्योंकि पहले मामले को 04.02.2007 पर अप्राप्य के रूप में बंद कर दिया गया था। इसके बाद, पीडब्लू-30 द्वारा वास्तविक जांच शुरू की गई। इसके बाद, जाँच के दौरान ए-1 ने उस स्थान का खुलासा किया जहाँ उसने मृतक के शव को दफनाया था। ए-1 द्वारा पहचाने गए स्थान से शव को बाहर निकाला गया। इस प्रकार, यह उस स्थान से आरोपी के कहने पर शव की बरामदगी का मामला था जिसका खुलासा आरोपी द्वारा किया गया था, जिसे उस स्थान के बारे में विशेष जानकारी में कहा जा सकता है जहाँ शव को दफनाया गया था। इसके बाद, सुपर इम्पॉसिशन टेस्ट किया गया और हड्डियों और खोपड़ी पर डी. एन. ए. जांच की गई और यह साबित हुआ कि शव मृतक का था। अपीलार्थी के खिलाफ यह पहली मजबूत परिस्थिति है-ए-1 जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है।

बी.

सी.

डी.

6.3 इसके बाद, मृतक द्वारा संबंधित समय पर चलाई गई कार भी पीडब्लू-16 से बरामद की गई, जो खुद आरोपी के कहने पर थी। कि घटनास्थल से मृतक द्वारा चलाई गई कार और आरोपी नंबर 1-अपीलार्थी द्वारा खुलासा किए गए व्यक्ति की बरामदगी हुई है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-16 की जांच करके इसे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, एक व्यक्ति जिसे चोरी की कार अपीलार्थी -आरोपी नंबर 1 द्वारा बेची गई थी। अपीलार्थी -अभियुक्त नं. 1 के विरुद्ध यह दूसरी मजबूत परिस्थिति है।

ई.

एफ.

6.4 इसके बाद, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी -अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बेचा गया इंजन और गियर बॉक्स पीडब्लू-17 से बरामद किया गया था। ए-1

द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर चोरी की कार का इंजन और गियर बॉक्स पीडब्लू-17 की हिरासत से मिला। हालांकि, पीडब्लू-17 प्रतिकूल हो गया है, हालांकि, एक ही समय में, पीडब्लू से इंजन और गियर बॉक्स की वसूली -

जी.

एच.

288

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

17 ए-1 द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर जो बरामद किए गए थे, वे पुलिस गवाह-पीडब्लू-30 की जांच करके अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित किए गए हैं, हम उपरोक्त पर पीडब्लू-30 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। यह अपीलार्थी के खिलाफ एक और परिस्थिति है-अभियुक्त संख्या 1। इस प्रकार उपरोक्त मजबूत परिस्थितियों के आधार पर जब विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, तो हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

बी.

सी.

6.5 अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलें कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु हत्या थी क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अनिश्चित था, यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि शव को दफनाया गया था और कई महीनों के बाद पाया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना संभव नहीं हो सकता है कि मृत्यु एक हत्या थी। हालांकि, उसी समय और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, अभियोजन पक्ष ने अन्य परिस्थितियों से स्थापित किया है और साबित किया है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी -अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उसकी कार चोरी/ले जाने के बाद की गई थी।

डी.

ई.

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और अपीलार्थी -अभियुक्त संख्या 1 को आई. पी. सी.

की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विद्वान ए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

एफ.

7.1 उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

जी.

बिभूति भूषण बोस

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

एच.